

## चैक स्लिप

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा देखे जाने वाले बिन्दु	कार्यालय अध्यक्ष की अभियुक्ति/वि.वि. हाँ/नहीं/लागू नहीं/अन्य
---	---

(क) प्रकरण के साथ संलग्न अभिलेख :-

(1)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश ।	
(2)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र	
(3)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 45 के नीचे अंकित टिप्पणी संख्या 3/16/17/18 (स्थिति के अनुसार	
(4)	कर्मचारी/पात्र पा. पेंशनर से प्राप्त परिवार के सदस्यों का पूर्ण ब्यौरा (विवाहित पुत्र पुत्री सहित)	
(5)	कर्मचारी/पात्र पा.पेंशनर की वर्णनात्मक नामावली की तीन (राज्य से बाहर पेंशन प्राप्त करने के मामले में 4) प्रतियाँ ।	
(6)	कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र (मृत्यु की स्थिति में)	
(7)	कोषाधिकारी द्वारा जारी बकाया नहीं होने का समेकित अदेयता प्रमाण-पत्र	
(8)	विभाग द्वारा जारी बकाया नहीं होने का समेकित अदेयता प्रमाण-पत्र	
(9)	मूल सेवा पुस्तिका (मूल खो जाने पर रा. से.नि. 160 (घ) के अंतर्गत तैयार डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका)	
(10)	कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु के मामले में उपादान हेतु नामांकन नहीं होने पर परिवार के पात्र सभी व्यस्क सदस्यों की/नामांकन की स्थिति में नामित सदस्यों की वर्णात्मक नामावली की 3-3 प्रतियां	

(क) कार्यालय सुनिश्चित करने की जानकारी :-

(1)	सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि अंकित है, जन्म तिथि प्रमाणन का आधार अंकित कर दिया गया है, जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्रकरण के साथ संलग्न की गई है तथा उसका उल्लेख यथा स्थान कर दिया ।	
-----	---	--

(2)	नियुक्ति तिथि से सेवानिवृति तिथि तक की सेवाएं सत्यापित हैं ।	
(3)	असत्यापित सेवा के लिए निर्धारित प्रपत्र 9 में कर्मचारी से घोषणा प्राप्त कर संतुष्टि उपरान्त प्रपत्र 9 ए में स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा उसका उल्लेख यथा स्थान कर दिया गया है ।	
(4)	व्यवधान अवधि कंडोन करने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, तथा यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है ।	
(5)	असाधारण अवकाश एवं निलम्बन अवधि यदि पेंशन के लिए योग्य सेवा नहीं है तो कुल सेवा में से कम कर दी गई है/ पेंशन योग्य सेवा मानने का आदेश होने पर यथा स्थान उल्लेख कर दिया गया है ।	
(6)	बर्खास्तगी या नियम 53 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृति पश्चात् पुनर्वहाली के मामले में नोटिस वेतन एवं पेंशनरी परिलाभों के भुगतान की गई राशि मय ब्याज जमा कराने की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में अंकित है ।	
(7)	कर्मचारी के सेवा से हटाये जाने या बर्खास्त किये जाने के बाद बहाल किये जाने पर बीच की अवधि (Intervening period) का सक्षम स्तर पर नियमन कर दिया गया है या अवधि योग्यात्मक सेवा में से कम कर दी गई है ।	
(8)	प्रतिनियुक्ति/वैदेशिक सेवा/सेवा संवर्ग बाह्य सेवा (ex-cadre) अवधि निदेशक, पेंशन विभाग द्वारा सत्यापित कर दी गई है । उक्त अवधि का पेंशन अंशदान व अवकाश वेतन अंशदान जमा कराने का विवरण पेंशन कुलक में अंकित कर दिया गया है ।	
(9)	कार्य प्रभारित सेवा नियमित कर ई गई है, मस्टर रोल सेवा सत्यापित करते हुए अनुपस्थिति अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है ।	
(10)	कार्य प्रभारित सेवा अवधि का अंशदायी प्रावधायी निधि में	

	नियोक्ता के अंशदान की जमा कराई गई राशि मय ब्याज राजकोष में स्थानान्तरित करने हेतु जारी स्थानांतरण प्रविष्टि की प्रति संलग्न कर दी गई है तथा यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है ।	
(11)	शास्ति का प्रभाव वेतन वृद्धियों एवं चयनित वेतनमान/सुनिश्चित केरियर प्रगति योजना (ACP) की स्वीकृति पर नियमानुसार डाल दिया गया है ।	
(12)	असाधारण अवकाश एवं निलम्बन अवधि यदि वेतन वृद्धि के लिए ड्यूटी नहीं मानी गई है तो उसका प्रभाव नियमानुसार वेतन वृद्धि/वृद्धियों पर डाल दिया गया है ।	
(13)	वेतन संशोधन के कारण वसूली योग्य राशि वसूल कर ली गई है तथा प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी गई है ।	
(14)	कोई वेतन निर्धारण बकाया नहीं है, सभी वेतन निर्धारणों व वार्षिक वेतन वृद्धियों की जाँच कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी से करवायी गई है तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र सेवा पुस्तिका में अंकित करवा दिया गया है ।	
(15)	वसूली योग्य राशि उपादान से वसूल करने की अभिशंसा कर दी गई है तथा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में वसूली योग्य राशि व जमा का पूर्ण बजट मद अंकित कर दिया गया है ।	
(16)	विशेष वेतन NCA/NPA स्वीकृति की प्रविष्टि सेवा में अंकित है तथा पेंशन कुलक में अंतिम 10 माह का औसत अंकित है ।	
(17)	स्वैच्छिक सेवानिवृति का दिन अकार्य दिवस माना गया है तथा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । सेवा में रहते मृत्यु के मामले में मृत्यु दिवस सेवा का भाग है, जिसका वेतन अवकाश वेतन दिया गया है ।	
(18)	रुपा न्तरण पेंशन आवेदन पर प्राप्ति तिथि अंकित कर अग्रेषित कर दिया गया है ।	